परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 07.02.2017 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 07.02.2017, दिन मंगलवार को अपराह्न 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिकस भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशंम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 (श्रीमती) निरंजना शुक्ला, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर।	सदस्या
4.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह, प्राचार्य, सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय, रायबरेली।	सदस्य
6.	प्रो0 संजय श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी तथा नवागन्तुक सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 03.12.2016 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांक 03.12.2017 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षा–कार्यक्रम पर विचार :–**

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाएं पूर्व घोषित शैक्षिक पंचांग के अनुसार दिनांक 06 मार्च, 2017 से दिनांक 01 मई, 2017 तक एक साथ सम्पन्न करा ली जाय। परीक्षा समिति ने संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2016–17 के विस्तृत परीक्षा–कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

3. **परीक्षा केन्द्रों/नोडल केन्द्रो को निर्गत किए जाने वाले निर्देशों पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षा से सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित किये जाने वाले सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा सम्बन्धी निर्देशों पर अपनी सहमति प्रदान किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/प्रभारी, कोडिंग सेल

4. **सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा हेतु नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु पूर्व निर्धारित नोडल केन्द्र बनाये जाएंगे, आवश्यकतानुसार नवीन नोडल केन्द्र निर्धारित किए जाय। साथ ही जिन महाविद्यालयों में छात्र संख्या 250 से कम है या जिन महाविद्यालयों में एक भी शिक्षक अनुमोदित नहीं है तथा जिन महाविद्यालयों ने सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा में उड़नदस्तों के साथ अभद्रता की है, उनको परीक्षा केन्द्र न बनाते हुए, उनकी परीक्षाएं समीपस्थ परीक्षा केन्द्रों में सम्पन्न करा ली जाए। व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय, आवश्यकतानुसार 5 वर्ष से अधिक संचालित एवं स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को भी परीक्षा केन्द्र

निर्धारित कर परीक्षा सम्पन्न करायी जा सकती है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं की शुचिता के दृष्टिगत समस्त नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र अपने स्ट्राँग रूम में सी.सी.टी.वी. (CCTV) कैमरा लगाए एवं उसकी दिन–प्रतिदिन की रिकार्डिंग माँगे जाने पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें। परीक्षा नियंत्रक ने अवगत कराया कि "Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of examination) Act, 1965 (U.P. Act. XXIV) of 1965 as amended by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973." की धारा 2–सी के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। उक्त व्यवस्था के आलोक में सम्बन्धित महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर केन्द्राध्यक्ष/अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर विलम्बतम 20 फरवरी, 2017 तक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष एवं अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष नामित कर दिए जाय तथा केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष प्रमाणपत्र हेतु महाविद्यालय से पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2016–17 की परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से उनके यहाँ अध्ययरत् छात्रों की 75% की उपस्थिति विषयक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

5. **सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं की बैकपेपर व अन्य परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किये जाने पर विचार :–**

सत्र 2015–16 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं की बैकपेपर व अन्य परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

6. **श्री शशांक त्रिपाठी, छात्र बी0फार्म, अष्टम् सेमेस्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ फर्मोसी की विशेष बैकपेपर परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि छात्र शशांक त्रिपाठी, बी0फार्मा–अष्टम् सेमेस्टर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया है कि सत्र 2015–16 में फार्मास्युटिकल एनालिसिस (BPH-801) एवं मेडिशिनल केमेस्ट्री (BPH-804) की विशेष बैकपेपर परीक्षा दी थी, किन्तु परीक्षाकाल में उसके पिता के अस्वस्थ होने के कारण मानसिक तनाव में होने से वह परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, जिससे वह उक्त दोनो प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो गया। सचिव ने यह भी अवगत कराया कि उक्त छात्र की 07 वर्ष में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा छात्र द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे अन्तिम अवसर के रूप में विशेष बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रभारी फार्मेसी संस्थान द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इसी प्रकृति के दो–तीन छात्रों का प्रकरण और भी विचाराधीन हैं। यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक में दिनांक 26.10.2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परीक्षा समिति ने सम्बन्धित चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाणपत्र पत्र प्रस्तुत करने को कहा था।

सम्बंन्धित चिकित्सा प्रमाणपत्र के अवलोकनोपरान्त प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त छात्र एवं इसी प्रकृति के जो भी अन्य छात्र हों, उन्हें सम्बन्धित सेमेस्टर परीक्षा की विशेष बैकपेपर परीक्षा के प्रश्नगत प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अन्तिम अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ लिया गया कि आगे उन्हें अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (सेमेस्टर परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. **सत्र 2016–17 के संस्थागत अभ्यर्थियों की प्रायोगिकी/मौखिकी 01 जनवरी, 2017 से प्रारम्भ कर 25 फरवरी, 2017 तक सम्पन्न कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2016–17 के संस्थागत अभ्यर्थियों की प्रायोगिकी/मौखिकी शैक्षिक पंचांग के अनुसार 1 जनवरी, 2017 से प्रारम्भ कर 25 फरवरी, 2017 तक सम्पन्न करा ली जाय। समस्त महाविद्यालयों को यह भी निर्देश प्रदान किए जाए कि ऑनलाइन दर्शाये गए छात्रों से भिन्न अन्य किसी भी छात्र की प्रायोगिकी/मौखिकी सम्पन्न न करायी जाय तथा प्रायोगिकी/मौखिकी की

हार्डकॉपी में किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को कोई हस्तलिखित अंक प्रदान न किए जाय। उक्त प्रायोगिकी/मौखिकी गतवर्ष निर्गत नियमों के अनुरूप ही सम्पन्न करायी जाएगी। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रायोगिकी/मौखिकी हेतु नियुक्त किये गये परीक्षको की सूचना सम्बंधित महाविद्यालयों को उनके कालेज लॉगिन के माध्यम से प्रेषित कर दी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

2. **बी0एड0 व एम0एड0 परीक्षा, सत्र 2015–17 के अध्यादेश के सम्बन्ध में प्राप्त विसंगतियों पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सत्र 2015–17 से प्रभावी बी0एड0 व एम0एड0 के पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अध्यादेश में बैकपेपर परीक्षा/भूतपूर्व छात्र परीक्षा/ग्रेडिंग आदि की विसंगतियाँ पायी गई है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त विसंगतियों के निराकरण हेतु प्रकरण को सम्बंधित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) को सन्दर्भित किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अकादमी)

3. **छात्रा कोमल गुप्ता, बी0एससी0 द्वितीय वर्ष–2015, अनुक्रमांक–5105086, सुभाष महाविद्यालय, किदवई नगर कानपुर एवं छात्रा प्रियंका पाल, बी0एससी–बायोटेक्नॉलाजी द्वितीय वर्ष–2014, अनुक्रमांक–0200005, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रा कोमल गुप्ता, बी0एससी0 भाग–2, वर्ष–2015, अनुक्रमांक–5105086, सुभाष महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर, ने गणित विषय के द्वितीय प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा दी थी, साथ ही बी0एससी0 तृतीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया तथा परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हो गयी, परन्तु बी0एससी0 द्वितीय वर्ष की बैकपेपर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गयी थी। इसी प्रकार छात्रा प्रियंका पाल, बी0एससी0–बायोटेक्नॉलाजी भाग–2, वर्ष–2014, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर ने बायोटेक विषय के मॉलीक्यूलर बायोलॉजी प्रश्नपत्र की बैकपेपर परीक्षा दी थी, जिसमें अनुत्तीर्ण हो गई थी साथ ही तृतीय वर्ष में प्रवेश लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। जिस कारण उन्हें बी0एससी0 द्वितीय वर्ष की अंकतालिकाएं निर्गत नहीं की गई है।

प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्राओं से निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए सत्र 2016–17 की मुख्य परीक्षाओं में प्रश्नगत प्रश्नपत्रों में बैकपेपर परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का उन्हें अवसर प्रदान किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

4. **छात्र राघवेन्द्र कुमार द्वारा एम0एससी0 एवं बी0ए0 की उपाधि एक की सत्र में पूर्ण करने के कारण एम0एससी0 की परीक्षा/उपाधि निरस्त करने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र राघवेन्द्र कुमार ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा बी0ए0 भाग–1 एवं बी0ए0 भाग–2 की व्यक्तिगत परीक्षाएं क्रमशः वर्ष–2012 एवं 2013 में उत्तीर्ण की गई है तथा वर्ष–2012 एवं 2013 में संस्थागत छात्र के रूप में उसके द्वारा एम0एससी0 पूर्वार्द्ध (गणित) एवं एम0एससी0 उत्तरार्द्ध (गणित) की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की गई है। छात्र द्वारा यह आवेदित किया गया है कि अज्ञानतावशं एक ही वर्ष में उपर्युक्त परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ तथा उसके द्वारा बी0ए0 तृतीय वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष–2014 में उत्तीर्ण कर ली गई है। लागू नियमों के विपरीत होने के आधार पर उसकी एम0एससी0 गणित की परीक्षा/उपाधि निरस्त कर दी जाय।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)

5. **छात्र मोहम्मद अकबर मीर, तिब–एनुअल एक्जाम–1991 की समस्त प्रायोगिकी में पूर्णांक 50 के स्थान पर परीक्षक द्वारा पूर्णांक 100 के आधार पर अंक प्रदान करने के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 'प्री–तिब एनुअल एक्जामिनेशन–1999' के परीक्षार्थियों को प्रायोगिकी में परीक्षकों द्वारा पूर्णांक 100 के आधार पर अंक प्रदान किए गए है, जबकि प्रायोगिकी हेतु निर्धारित पूर्णांक 50 है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्बन्धित सारणीयन पंजिकाओं एवं अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (मेडिकल अतिगोपनीय)

6. **छात्रा प्रीति यादव के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रा प्रीति यादव ने बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा (अनुक्रमांक–6084932, पी.पी.एन. कालेज, कानपुर) संस्थागत परीक्षार्थिनी के रूप में वर्ष–2008 में उत्तीर्ण की थी, इसी परीक्षार्थिनी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थिनी के रूप में बी0ए0 तृतीय वर्ष की परीक्षा (अनुक्रमांक–0619131, परीक्षा केन्द्र–ज्वाला देवी विद्यामन्दिर पी.जी. कालेज, कानपुर) वर्ष–2012 में उत्तीर्ण की। छात्रा ने बी0ए0 तृतीय वर्ष की व्यक्तिगत परीक्षा की वर्ष–2012 की अंकतालिका निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अध्यादेशानुसार Regular Mode का परीक्षार्थी उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा Private Mode में नहीं दे सकता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त छात्रा प्रीति यादव की बी0ए0 तृतीय वर्ष की वर्ष–2012 की व्यक्तिगत परीक्षा, (अनुक्रमांक–0619131) को निरस्त कर दिया जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

7. **अब्दुल सलाम, परीक्षार्थी बी0यू0एम0एस0 परीक्षा–2001 (बैच–1995) की उपाधि निरस्त किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि शिकायतकर्ती श्रीमती फिरदौस परवीन ने अपने शिकायती पत्र दिनांक 13.03.2014 के माध्यम से अवगत कराया है कि श्री अब्दुल सलाम द्वारा (बी0यू0एम0एस0 परीक्षा–2001 (बैच–1995), अनुक्रमांक–305456, अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर) अर्ह न होने पर भी बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर ली गई। प्रकरण की जाँच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति ने इस आशय की संस्तुति की है कि परीक्षार्थी श्री अब्दुल सलाम द्वारा निर्धारित प्रवेश अर्हता पूर्ण न करने पर भी कपटपूर्वक सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया गया। अतः उसकी बी0यू0एम0एस0 परीक्षा–2001 (बैच–1995) एवं निर्गत उपाधि निरस्त कर दी जाय।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से जाँच समिति की संस्तुति के आधार पर श्री अब्दुल सलाम की प्रश्नगत उपाधि निरस्त किए जाने की संस्तुति कार्यपरिषद से की।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (मेडिकल परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

8. **माह नवम्बर व दिसम्बर, 2016 में सम्पन्न हुई सेमेस्टर/मेडिकल एवं बी0एड0/एम0एड0 परीक्षाओं में योजित उड़नदस्तों की आख्या पर यू0एफ0एम0 समिति की अनुशंसा पर विचार :–**

अनुचित साधन प्रयोग समिति के अध्यक्ष ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की माह नवम्बर व दिसम्बर, 2016 में सम्पन्न हुई सेमेस्टर/मेडिकल एवं बी0एड0/एम0एड0 की परीक्षाओं में योजित विश्वविद्यालय के उड़नदस्तों की आख्या के आधार पर छात्र/छात्राओं को सामूहिक नकल का आरोप निर्धारित किया गया है, से सम्बन्धित आख्या निम्नवत है :–

"In this report UFm cases during Semester Examination 2016-17 for different professional classes and that of back paper/supplementary examiantion-2016 of undergraduate & post-graduate classes havebeen listed for information & necessary action to be taken by Examination Committee Meeting Scheduled on 07.02.2017. ....
....
....

The U.F.M Committee as per Rule & Regulations of the University proprose the following course of action in deciding the cases of Unfair Means under the group II, reported by coding section :-

1. Cancellation of the examination paper of the candidete in which the charge of using Unfair Means is established.
2. Clarification from the Center of Examination be sought for cases for in which suspicions have been found with respect to irregularities violating the fair counduct of examination.
3. Any other punishment which the Examination Committee deems fit.

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आरोपित छात्र/छात्राओं की सम्बंधित परीक्षा के सम्बंधित प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (यू.एफ.एम./परीक्षा)

9. **सत्र 2014–15 की बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिकी/मैखिकी पुनः सम्पन्न कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2014–15 की बी0एड0 पाठ्यक्रम की प्रायोगिकी 30 नवम्बर, 2016 को सम्पन्न करायी गई थी। परन्तु कई छात्र/छात्राओं ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रायोगिकी/मौखिकी में वे सम्मिलित नहीं हो सके।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त पाठ्यक्रम की प्रायोगिकी/मौखिकी आगामी 15 कार्यदिवसों की सूचना देते हुए विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग में सम्पन्न करा ली जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/प्रभारी, कोडिंग सेल

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

Vaish 7/2/17

(प्रो० जे०वी० वैशंम्पायन)
कुलपति

07/2/17

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति